संख्या-734/2026/1378/22-2-2025-17(477)/2022

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 11 जून, 2026

विषय:- जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र बिहारीलाल, निवासी जनपद-झांसी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-25779/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-13.06.2025), दिनांक 25.06.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र बिहारीलाल, जो ग्राम-परसुआ, थाना-गुरसरांय, जनपद-झांसी का निवासी है। चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2006 को बन्दी ने अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी एवं बांका से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 120बी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम, झांसी के आदेश दिनांक 16-10-2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 15-10-2020 तक 14 वर्ष, 03 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु आख्या दिनांक 27 अगस्त, 2021 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2006 को बन्दी ने अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी एवं बांका से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, झांसी की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश पुत्र श्री बिहारीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश (बन्दी संख्या-965/19) पुत्र श्री बिहारीलाल, निवासी जनपद-झांसी की यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के प्राबिधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी के लाईसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन का आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-734/2026/1378(1)/22-2-2025 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, झांसी।
2- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी।
3- अधीक्षक, जिला कारागार, झांसी।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

शासनादेश संख्या-734/2026/1378/22-2-2025-17(477)/2022

दिनांकः 11 जून, 2026 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, झांसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राकेश पुत्र बिहारीलाल, जो ग्राम-परसुआ, थाना-गुरसरांय, जनपद-झांसी का निवासी है। चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2006 को बन्दी ने अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी एवं बांका से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या कर दी। बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-57/2007 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 149, 307, 302, 120बी के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष न्यायाधीश, उ0प्र0 गिरोहबन्द अधिनियम, झांसी के आदेश दिनांक 16-10-2019 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी की अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में लम्बित है। बंदी द्वारा दिनांक 15-10-2020 तक 14 वर्ष, 03 माह, 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 14 वर्ष, 05 माह, 09 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर-9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि0एल०जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, झांसी द्वारा बंदी का अभिभावक उपयुक्त पाया गया है किन्तु आख्या दिनांक 27 अगस्त, 2021 में समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 10.07.2006 को बन्दी ने अपने 08 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, बन्दूक, फरसा, कुल्हाड़ी एवं बांका से मारकर 02 व्यक्तियों की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट, झांसी की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी राकेश पुत्र श्री बिहारीलाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

---

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in